

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District

(ज़िला): जयपुर (पश्चिम)

P.S.

(थाना): बनीपार्क

Year

(वर्ष): 2023

2. FIR No.

(प्र.सू.रि.सं): 0042

Date and Time of FIR

(एफआईआर की तिथि/समय):

04/03/2023 20:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा एँ)
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन

Date From  
(दिनांक से): 21/04/2022Date To  
(दिनांक तक): 31/01/2023Time Period  
(समय अवधि): पहरTime From  
(समय से): 00:00 बजेTime To  
(समय तक): 11:00 बजे(b) Information received at P.S.  
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):Date  
(दिनांक): 04/03/2023Time  
(समय): 20:24 बजे(c) General Diary Reference  
(रोजनामचा संदर्भ):Entry No.  
(प्रविष्टि सं.): 054Date & Time  
(दिनांक एवं समय): 04/03/2023 20:24:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.  
(थाने से दिशा और दूरी):

दक्षिण - पूर्व, 2.09 किमी

Beat No.  
(बीट सं.): कलेक्ट्रेट सर्किल

(b) Address(पता): COLLECTORATE, BANIPARK, JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)Name of P.S  
(थाना का नाम):District(State)  
(ज़िला (राज्य) ):

## 6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VIJAY KUMAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): LALCHAND VARYANI

(c) Date/Year of Birth  
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1978

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	RAJ MESSIAN, TULSI MARG, BANIPARK, JAIPUR, बनीपार्क, जयपुर (पश्चिम), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	RAJ MESSIAN, TULSI MARG, BANIPARK, JAIPUR, बनीपार्क, जयपुर (पश्चिम), राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001595857

## 7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SAKSHI TIWARI		पिता:BAL KISHAN TIWARI	1. MAKAN NO 2334,PAREEK SCHOOL KE SAMNE,NAHAR GARH ROAD,JAIPUR,जयपुर शहर (उत्तर) ,राजस्थान,भारत

## 8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

## 9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नथी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

**10. Total value of property stolen (In Rs/-)**

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

**12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ न्त्थी करे)):

न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या- जयपुर महानगर जयपुर परिवाद पत्र संख्या 44/23 विजय कुमार पुत्र श्री लालचन्द वरयानी आयु 52 वर्ष निवासी बनीपार्क जयपुर राज मेशन तुलसी मार्ग बनीपार्क जयपुर परिवादी बनाम साक्षी तिवाडी पुत्री बालकिशन तिवाडी, निवासी- मकान नं - 2334, पारीक स्कूल के सामने, नाहरगढ, रोड, जयपुर । अभियुक्त परिवाद अन्तर्गत धारा 190 द.प्र.सं. अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, भा.द.सं. पुलिस थाना - बनीपार्क, जयपुर । महोदय, परिवादी की ओर से परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि - 1. यह कि परिवादी उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करता है । 2. यह कि परिवादी व अभियुक्त ने अपने मकान नं-1974 नाहरगढ रोड को साक्षी तिवाडी पुत्री बालकृष्ण तिवाडी मकान नं - 2334 पारीक स्कूल के सामने, नाहरगढ, रोड, जयपुर को 5,51,00,000/- रूपये में बेचान किया था, जो कि जरिये इकरारनामा किया था । 3. यह कि इस बाबत परिवादी व साक्षी तिवाडी के मध्य दिनांक 21.04.2022 काके लिखित इकरारनामा भी बनाया था, जिस पर परिवादी व उसकी पति के कलेक्ट्री परिसर जयपुर में हस्ताक्षर करवाये थे और टुकडो में परिवादी व उसकी पति को दिये थे । परन्तु दोनो पक्षकारान के मध्य विवाद होने से इकरारनामा जरिये नोटिस निरस्त कर दिया था । 4. यह कि परिवादी ने साई पेटे की रकम पचास लाख रूपये लौटाने हेतु अभियुक्त साक्षी तिवाडी को सूचित कर दिया गया है परन्तु साक्षी तिवाडी ने साईपेटे की रकम लेने से इंकार कर दिया। क्योंकि अभियुक्त के मन में बदनियती आ गयी और उसने इकरारनामे की पृष्ठ संख्या - 5 की मद संख्या - 01 की ग्यारवी पंक्ति में पन्द्रह लाख ( 15,00,000/- रूपये) के स्थान पर कम्प्यूटर तकनिकी से 56,00,000 / - रूपये करवा दिये और परिवादी से अवैध राशि वसूल करने की गरज से अपने आप को फायदा पहुंचाने व परिवादी को नुकसान पहुंचाने के आशय से इकरारनामे में फेर बदल कर साईपेटे की रकम 50,00,000/- रूपये के स्थान पर 91,00,000 / - रूपये कर दिये । 5. यह कि परिवादी को केवल 51,00,000/- रूपये दिये है, जो परिवाद देने को तैयार था परन्तु अभियुक्त ने छलपूर्वक इकरारनामे में कूटरचना करके अपराध कारित किया है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है । 6. यह कि परिवादी ने अभियुक्त के उक्त छल-कपट पूर्ण व्यवहार से परेशान होकर थाना नाहरगढ में रिपोर्ट दज करवाने गये तो उन्होने बताया कि प्रकरण बनीपार्क थाने का इसलिए वही पर रिपोर्ट दर्ज करवाओ तत्पश्चात परिवादी असालतन उपस्थित होकर पुलिस थाना बनीपार्क जयपुर रिपोर्ट दर्ज करवाई चाही जिस पर उक्त थाने द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जिस पर परिवादी ने एक शिकायत पत्र पुलिस थाना - बनीपार्क, जयपुर को जरिये रजि. डाक के दिनांक- 31/1/23 को भी प्रेषित किया तथा श्रीमान पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) को लिखित शिकायत पत्र दिनांक- 31/1/23 जरिये डाक प्रेषित की, परन्तु किसी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी द्वारा 154 (1) एवं 154 (3) की अनुपालना कर दी गई है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं जिससे व्यथित होकर परिवादिया को यह परिवाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। 7. यह कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ किया गया उक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 8. यह कि अभियुक्तगण का उक्त कृत्य पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर घटित होने के कारण श्रीमान् को उक्त परिवाद पत्र को सुनने व निर्णित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है । 9. यह कि परिवाद पत्र अन्दर मियाद व उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादिया के करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। परिवाद पत्र को अन्तर्गत धारा 156 ( 3 ) द.प्र.स. के तहत पुलिस थाना-प्रताप नगर, जयपुर को वास्ते अनुसंधान प्रेषित करते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।-----कार्यवाही पुलिस -----प्रमाणित किया जाता है कि टाईपशुदा इस्तगासा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय एमएम-7 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर से जरिये डाक इस आशय कि परिवादी श्री विजय कुमार पुत्र श्री लालचन्द वरयानी आयु 52 वर्ष निवासी बनीपार्क जयपुर राज मेशन तुलसी मार्ग बनीपार्क जयपुर का प्राप्त हुआ जिसकी नक्ल अक्षर स अक्षर सीसीटीएनएस सोफ्टवेयर में कि गई। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 420,467,468,471 आईपीसी का वकू में आना पाया गया तफतीश श्री हवासिंह एएसआई के जुम्मे की जायेगी। एफआईआर प्रतियां नियमानुसार जारी की जावेगी। एफआईआर क्रमांक सीसीटीएनएस प्रविष्टि से प्राप्त होने पर अंकित पृथक से किया जायेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम ):

Hawa Singh

Rank

(पद):

सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Narendra Singh

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्न):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग )	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	महिला	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)		Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8		9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग )	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)